



Fraud Prevention Advisory: Verified 1600 Series Contact Numbers

धोखाधड़ी रोकथाम सलाह: सत्यापित 1600 श्रृंखला संपर्क नंबर

In accordance with Reserve Bank of India directive to strengthen consumer protection and curb financial frauds, we now use verified 1600 series number when contacting customers for official communication/service calls. उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने और वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार, अब हम आधिकारिक संचार/सेवा कॉल के लिए ग्राहकों से संपर्क करते समय सत्यापित 1600 सीरीज नंबर का उपयोग करते हैं।

All the legitimate calls from our representatives shall be from numbers starting with 1600 series given below: हमारे प्रतिनिधियों की ओर से सभी वैध कॉल नीचे दी गई 1600 श्रृंखला से शुरू होने वाले नंबरों से होंगी:

1600317001
1600317002
1600317003
1600417473
1600417474
1600313206

Caution Advisory- Aavas Financiers Limited ("Aavas") never asks customers to share their confidential information such as username, password, card details, CVV, OTP, QR code, or UPI Id, through instant messages, including WhatsApp and SMS, for the payment of EMIs/PEMIs. Customers should pay EMIs/PEMIs only at Aavas branches, its official website (www.aavas.in), or the Aavas Loan App. Avoid online payments to unknown individuals. Report frauds involving payment requests via WhatsApp or SMS to the police, the Cyber Crime helpline (1930), or www.cybercrime.gov.in. Suspected Fraud within the last 30 days can also be reported on 'Chakshu' platform of Department of Telecommunication at <https://sancharsaathi.gov.in/sfc/>. To block or manage commercial communications, use your Telecom Service Provider's app/website, TRAI DND App, or dial '1909.' Complaints can be lodged if spams persist despite DND registration. Aavas is not liable for fraudulent transactions caused by the compromise or inadvertent sharing of account-related details.

सावधानी सलाह- आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड ("आवास") कभी भी ग्राहकों से EMI/PEMI के भुगतान के लिए WhatsApp और SMS सहित त्वरित संदेशों के माध्यम से उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, कार्ड विवरण, CVV, OTP, QR कोड या UPI आईडी जैसी गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए नहीं कहता है। ग्राहकों को EMI/PEMI का भुगतान केवल आवास शाखाओं, इसकी आधिकारिक वेबसाइट (www.aavas.in) या आवास लोन ऐप पर ही करना चाहिए। अनजान व्यक्तियों को ऑनलाइन भुगतान करने से बचें। WhatsApp या SMS के माध्यम से भुगतान अनुरोधों से जुड़ी धोखाधड़ी की रिपोर्ट पुलिस, साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930) या www.cybercrime.gov.in पर करें। पिछले 30 दिनों के भीतर संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट दूरसंचार विभाग के 'चक्षु' प्लेटफॉर्म <https://sancharsaathi.gov.in/sfc/> पर भी की जा सकती है। वाणिज्यिक संचार को ब्लॉक या प्रबंधित करने के लिए, अपने दूरसंचार सेवा प्रदाता के ऐप/वेबसाइट, TRAI DND ऐप का उपयोग करें या '1909' डायल करें। यदि DND पंजीकरण के बावजूद स्पैम जारी रहता है तो शिकायत दर्ज की जा सकती है। खाता-संबंधित विवरणों के समझौता या अनजाने में साझा किए जाने के कारण होने वाले धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए आवास उत्तरदायी नहीं है।